प्रेस विज्ञप्ति
29.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने तरलोचन सिंह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुलबीर सिंह साहनी प्रोप.अरविंद्र इलेक्ट्रिकल्स रुपये की 6.50 लाख रूपये की चल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने तीन मंडियों, मौड़ मंडी, मानसा मंडी और बुढलाडा मंडी, में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के काम के संबंध में भटिंडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और ठेकेदारों भूषण कुमार ठुकराल, पवन कुमार सिंघल और कुलबीर सिंह साहनी,उक्त तीन ठेकेदारों के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो भटिंडा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मौड़ मंडी ग्रुप-1 में एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के काम का ठेका ठेकेदार भूषण कुमार ठुकराल, मौड़ मंडी ग्रुप 2 व 3 और मनसा मंडी ग्रुप 1 से 5 में ठेकेदार पवन कुमार सिंघल को दिया गया था और भुड़लाडा मंडी ठेकेदार कुलबीर सिंह साहनी को दे दी गई। ठेकेदारों ने भटिंडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से अनुमोदित विनिर्देश के अलावा और घटिया गुणवत्ता की एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाईं। इसके अलावा, ठेकेदारों द्वारा कुछ उपकरण साइट पर स्थापित किए जाने की झूठे दावे किये गए जो की वहां नहीं पाए गए। इस सब से सरकारी खजाने को 8.02 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ।

पीएमएलए जांच के दौरान, कुलबीर सिंह साहनी प्रोप अरविन्द्र इलेक्ट्रिकल्स के नाम पर 6.50 लाख रुपये की चल संपत्ति का पता लगाया गया और उसे कुर्क किया गया।

आगे की जांच जारी है।